रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2014/ज्येष्ठ 2, 1936
No. 1132] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2014/JYAISTHA 2, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2014

आयकर

का.आ. 1364(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (48) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित को देखते हुए एतद्‌वारा उक्त खंड के प्रयोजनों हेतु अधिसूचित करती है:—

(क) मैसर्स तीमाद, 28 केएम कराज मखसूस रोड, ईरान को विदेशी कंपनी के रूप में;

(ख) कोडीन फॉसफेट को वस्तु के रूप में; और

(ग) सरकारी अफीम एवं क्षारोध कारखाना (जी ओ ए एफ) और मैसर्स तीमाद, ईरान के बीच 21 सितम्बर, 2013 को किए गए तथा केन्द्र सरकार द्‌वारा विधिवत रूप से अनुमोदित समझौता ज्ञापन को करार के रूप में:

बशर्ते कि उक्त विदेशी कम्पनी भारत में उपर्युक्त करार के तहत कोडीन फॉसफेट के विक्रय से होने वाली आय की प्राप्ति से इतर भारत में अन्य किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 27/2014, फा.सं. 196/20/2014-आयकर नि. I]

दीपशिखा शर्मा, उप सचिव